

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 61 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-05-07-2023.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 अरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753 /2020)

सन्दर्भ:- उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-1085/81-2- 2023-800(04)/2023, दिनांक-24.05.2023 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पृष्ठांकन संख्या-3745/11-सी दिनांक-26.05.2023, इस कार्यालय के पत्रांक-1926/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-06.03.2023, पत्रांक-2519/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-29.05.2023 तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक-324/वि0प्रे0खं0-गा0/ दिनांक-27.02.2023, पत्रांक- 912/वि0प्रे0खं0 -गा0/दिनांक-24.06.2023


महोदय,

अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर के कार्यालय के पत्रांक-324/वि0प्रे0खं0-गा0/ दिनांक-27.02.2023 द्वारा (400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन के) लीज नवीनीकरण का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक-1926/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-06.03.2023 द्वारा उचित माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने पत्र संख्या-1085/81-2-2023-800(04)/2023 दिनांक-24.05.2023 द्वारा कमियों का उल्लेख करते हुए सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिसके क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा लागयी गयी आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-2519/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-29.05.2023 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया।

जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर) ने अपने कार्यालय के पत्रांक-912/वि0प्रे0खं0-गा0 दिनांक-24.06.2023 द्वारा निम्नलिखित आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है:-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापित पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2	वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी में 0 अडानी है अथवा 00प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० है ?	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी 00प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० है।
3	प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?	प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव नहीं है।

अतः 00प्र0 शासन द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित सूचना/अभिलेख की चार प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूचना/अभिलेख की तीन प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (अनुसूचक प्रियदर्शी)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।



उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Electricity Transmission Division- Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233002

E-mail-eeetd2var@upptcl.org
Mob. 9415311047

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
220 के०वी० विद्युत उपक्रम संस्थान
कानोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक 912 वि०प्र०ख०-गा०/

दिनांक 24.6.2023

विषय:- जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के०वी० ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाइन में प्रस्तावित 7.5118 हे०. आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020)।

✓ प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा- सोनभद्र

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० शासन के पत्रांक सं० 1085/81-2-2023-800(04)/2023 दिनांक 24.05.2023 तथा मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सं० 3745/11-सी दिनांक 26.05.2023 एवं आपके कार्यालय पत्रांक सं० 2519/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक 29.05.2023 के अन्तर्गत जनपद - सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के०वी० ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाइन में प्रस्तावित 7.5118 हे० के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में लगाई गयी आपत्ति के निराकरण हेतु मांगी गयी सूचना का बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है -

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाय।	पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2.	वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी में अडानी है अथवा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० है।	वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० है।
3.	प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-Post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं	प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-Post Facto प्रस्ताव नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा

करें।

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया

कृपया


कृपया

/वि०प्र०ख०-गा०/

दिनांक..

प्रीतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है :-

- मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
- मुख्य अभियन्ता, (पारे०द०पू०), 57, जार्ज टाऊन प्रयागराज।
- अधीक्षण अभियन्ता वि०प्र०मं०, द्वितीय, वाराणसी।



(एस०के०सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

(एस०के०सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

27-6-23

पट्टा विलेख

यह पट्टा सन् 1999 के अक्टूबर माह के 1 वे दिन तदनुसार शक संवत् _____ के मास के _____ दिन को श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिन्को आगे चलकर

'पट्टादाता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा मेसर्स उ०प्र०रा०वि०प० (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) पंजीकृत कार्यालय उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० शक्ति भवन 14 अशोक मार्ग लखनऊ 226001 है, (जिसे आगे चल कर पट्टेदार' कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य में लिया गया।

चूँकि भारत सरकार/राज्य सरकार के आदेश संख्या जी आई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक -01 अक्टूबर 1999 के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 811/04/1692/98/FC दिनांक 08.03.1999 में निर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत आवारा वन प्रभाग जिला सोनभद्र में पट्टेदाता को 400 क०वी० लीली आवारा विद्युत पारषण लाईन के निर्माण हेतु 19968 हे० उक्त वन भूमि हस्तान्तरित करने एवं गैर वाणिकी प्रयोग की अनुमति दी है।

और चूँकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या जी आई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक 01 अक्टूबर 1999 के द्वारा उक्त प्रयोग हेतु 20 वर्षों के लिए दिनांक _____ का पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था (जिसको एतदपश्चात् मूल पट्टा विलेख कहा गया है)

और चूँकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर इसमें उल्लिखित अनुसूची में वर्णित 19968 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को शारणादेश संख्या जी आई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक 01 अक्टूबर 1999 के अनुसार पट्टेदार के नाम आगे अभिव्यक्त अधिकारी निवेदनों एवं प्रसविदाओं तथा अनुसूची के अधीन पट्टेदार को 400 क०वी० लीली आवारा विद्युत पारषण लाईन के निर्माण हेतु (जिसो एतद पश्चात् उक्त प्रयोजन कहा गया है) 20 वर्षों की अवधि के लिए पट्टेदार को गैर वाणिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिए सहमत हुए हैं।

और चूँकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या जी.आई. 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक - 01 अक्टूबर 1999 (जिसो एतदपश्चात् उक्त शारणादेश कहा गया है) द्वारा पट्टाविलेख की अनुसूची में उल्लिखित वनभूमि को 20 वर्षों की अवधि के लिये पट्टे पर गैर वाणिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिये एतदपश्चात् अभिव्यक्त अधिकारी, निवेदनों एवं प्रसविदाओं के अधीन सहमत हुए हैं।

और चूँकि पट्टादाता द्वारा इस पट्टा विलेख को निष्पादित किये जाने हेतु शारणादेश संख्या जी आई 322/14-2-99-700(2) 97 दिनांक 01 अक्टूबर 1999 जारी किया है।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ट्रांसफर आफ प्राप्ती एक्ट 1982 के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन निष्पादित यह विलेख जारी किया जायेगा।
 ₹० 1855522.40 (रुपया अड़सह लाख पचपन हजार पाँच सौ बाईस एवं बालिश पैसे मात्र) के मध्य पर 19968 हे० गैर वन भूमि जनपद सोनभद्र में तथा उक्त गैर वन भूमि पर शीघ्र ही निर्माण हेतु ₹० 855968.25 (₹० आठ लाख पचपन हजार नौ सौ अड़सठ एवं पच्चीस पैसे मात्र) के मध्य पर 751375 दिनांक 23.11.1998 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कैमुर बन्धजीव प्रभाग मिर्जापुर जिला की पट्टेदाता एतद्वारा स्वीकार करता है तथा आगे आरक्षित भूमि का वार्षिक लोड रेट की प्राप्ति के फलस्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गई प्रसविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतद्वारा 19968 हे० वन भूमि उसकी सीमाओं सहित जिराका विवरण इससे सम्बद्ध अनुसूची में दिया हुआ है तथा जो स्पष्टीकरण के लिये इस पट्टा विलेख से सलग्न मानचित्र में इस रंग से दर्शा दिया गया है (जिसो आगे 'वनभूमि' कहा जायेगा)

प्रभागीय वनाधिकारी
 ओमका वन प्रभाग
 जिला सोनभद्र

प्रतिलिपि सत्यापित
 24.6.2023
 अधिशासी अभियंता
 विद्युत प्रेषण विभाग
 प० पा० ट्रा० का० लि०
 गजीपुर

Ex-Officio Engineer
 Electricity Transmission Division
 U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

सन् 2020 के जुलाई माह के 24

के लिये पट्टेदार को पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग के लिये हस्तान्तरित करते है। इस आधिपत्य के उपलब्ध में 1999 से 2019 उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटीलियों को छोड़कर रूपया 185552.24(रु०-एक लाख पच्चासी हजार पाँच सौ बावन एव चौबिस पैसे) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन अथवा इसके पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ओबरा को भुगतान करेगा। उल्लेखनीय यह है कि पट्टेदार द्वारा एक वर्ष का वार्षिक किराया रूपया 185552.24(रु० एक लाख पच्चासी हजार पाँच सौ बावन एव चौबिस पैसे) मात्र अग्रिम के रूप में चेक संख्या 778319 दिनांक 30.11.1999 और चेक संख्या 783378 दिनांक 07.08.2000 को प्रभागीय वनाधिकारी वानिकी प्रभाग, ओबरा के कार्यालय में जमा कर दिया गया है।

1 - अतः पट्टेदार पट्टेदाता से निम्न प्रसंविदा करता है:-

1. प्रश्नगत हस्तान्तरित वनभूमि की वानिकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. हस्तान्तरित की जाने वाली वनभूमि के समस्त गैर वनभूमि पर प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा शक्तिपूर्क वृक्षारोपण किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष में अमलदस्तावेज की मयी गैरवनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. वनभूमि पर पारिषण लाईन की अधिकतम चौड़ाई 52 मीटर होगी।
5. [I] पारिषण लाईन में तारी में टियाव उत्पन्न करने वाले तारी / फेंज के प्रत्येक कण्डक्टर के नीचे 3 मीटर चौड़ाई में वन भूमि को साफ करने के अनुमति होगी ऐसी परिदृश्यों पर स्थिति ऐसी को काटा जा सकता है किन्तु कार्य समाप्त होने पर ऐसे स्थानों पर पुनर्जीकरण की अनुमति दी जाएगी। पारिषण लाईन के समस्त अंशों को पालतन/शाखा छटायी कर वन भूमि को पुनर्जीवन किया जायेगा। पारिषण लाईन के रखरखाव हेतु एक वार्षिक पट्टी रिक्त रखी जायेगी।
[II] पारिषण लाईन की फेंज चौड़ाई में अनुस्थापन के समय विद्युत दापो से बचने के लिए पेड़ों और कण्डक्टर के बीच कम से कम 5.5 मीटर का अन्तराल रखा जायेगा ताकि पारिषण लाईन का रखरखाव न्यूनतम रहे। उक्त हेतु आवश्यकतानुसार वृक्षों का पालतन/शाखा छटायी किया जायेगा।
[III] पर्वतीय क्षेत्रों में पारिषण लाईन के निर्माण के सम्बन्ध में वृक्षों एवं लाईन के बीच पर्याप्त दुरी होने पर वृक्षों का पालतन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
6. वनक्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा किसी भी दशा में शिविर आदि नहीं लगाया जायेगा एवं मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वृक्षों का हानि न पहुँचाये इसलिए 30प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में 30प्र० पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि०) उन्हें ईंधन की लकड़ी तथा ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रसंजन के अतिरिक्त किसी अन्य क्या वन हेतु नहीं किया जायेगा।
8. वनों एवं सीमा के संक्षरण एवं संवर्धन हेतु 30प्र० सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई जाने वाली शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
प्रभागीय वन विभाग

प्रतिलिपि सन्तुष्टि
Jalish
24.6.2023
निदेशाधीन अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
30 प्र० पा० ट्रा० कॉ० लि०
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

9. 30000 रा0 विद्युत परिषद (वर्तमान में 30000 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार एवं उनके नियंत्रणाधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को हानि नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर 30000 रा0 वि0 प0 (वर्तमान में 30000 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा देय होगा।
10. उक्त वन भूमि 30000 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30000 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग में लीज अवधि के भीतर जब तक वकी रहेगी जब तक 30000 रा0 वि0 प0 (वर्तमान में 30000 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) का उसकी आवश्यकता रहेगी, यदि 30000 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30000 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो 30000 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30000 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग 30000 रा0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वापस प्राप्त हो जायेगी।
11. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
12. चूंकि 30000 रा0 वि0 परिषद (वर्तमान में 30000 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा क्षतिपूरक पृष्कारोपण हेतु 19.06.88 हे0 गैरवनभूमि वन विभाग का उपलब्ध करा दी गयी है अतः उनसे वन भूमि का मूल्य (प्रिमियम) नहीं लिया जायेगा औरतु वामान वावर दर पर वनभूमि का मूल्य (प्रिमियम) विलाधिकारी से निरीक्षण कराकर मूल्य का 10 परिशत अधिक लीज रेन्ट वनभूमि हस्तान्तरण से पूरा किया जायेगा।
13. 30000 रा0 वि0 प0 (वर्तमान में 30000 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य समान्य शर्तों का सम्मिलित करके हुए पट्टा विलेख का आवेख प्रस्तुत किया जायेगा जिसे शासकीय हस्तान्तरण से विधीकृत कराया जायेगा। ऐसे प्रत्येक पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय वन्येशसन प्रकोष्ठ के शास-वदेश राख्या 198/7 जी0सी0 89-3-89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाये 01-न्याय प्रशासन 501-सेवाये और सेवा फीस -01- की गई सेवाओं के लिए भुगतानों की उपाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध यह कि यह विलेख इस शा पर निर्धारित किया जाय और जब और जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा उसके किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात् एक मास तक भुगतान से होगा, बाहे वह विधिक मागा गया हो या न गया गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा, तब और ऐसे किसी दशा में पट्टादाता भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के किसी अधिकार को छोड़ दिया हो उक्त वन भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके सम्स्त अधिकारियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित वनभूमि का पट्टा बिल्कुल निरस्त हो जायेगी तथा उक्त वनभूमि पर निर्मित निर्माणों को हटाने अथवा उसके सम्बन्ध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के सम्स्त अधिकार अपहृत हो जायेंगे।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

प्रतिलिपि सत्यापित
9.6.2023
आधिशारी अभिनव
विद्युत प्रेषण खण्ड
30 प्र० पा० ट्रा० का० लि०
गाजीपुर

Executive Engineer
Electricity Transmission Division - I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

यह भी प्रतिबन्ध है कि अगर जो कुछ अधिकार है उसके अधिकार पट्टेदाता को यह अधिकार होगा कि वह इस विलेख के अधीन समस्त घनराशि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करे लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तान्तरित उक्त वनभूमि की पट्टेदाता को किसी समय अपने कार्य के लिये आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि पट्टेदार को उक्त वनभूमि पर उस समय निर्मित किसी निर्माण को हटाने की एक माह की लिखित नोटिस दें और यह भी उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् उक्त अवधि के सम्पन्न होने पर दो मास के भीतर पट्टेदाता उक्त वनभूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लें किन्तु शर्त यह है कि पट्टेदाता उक्त वनभूमि पर निर्मित पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी निर्माण को क्रय करना चाहें तो पट्टेदार को उस निर्माण के बदले में ऐसी घनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के वन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अकवारित की जाये।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसी समस्त कर, दर तथा अन्य परिस्यो का भुगतान करेगा जो पट्टे पर हस्तान्तरित वनभूमि के सम्बन्ध में पट्टेदाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होगा।

11 - और इस विलेख के दोनो पक्ष करार करते हैं कि:

(क)- उक्त वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग के बाद भी वनभूमि बनी रहेगी एवं उसके वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख)- इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या उसके विषय पर यदि कोई भी विवाद उत्पन्न अथवा प्रश्न दोनो पक्षों से या उसके किसी दोनो पक्षों के बीच उत्पन्न हो जाय तो उस पर उक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय किया जायेगा किन्तु होगा तथा इस विलेख के दोनो पक्ष उससे बाध्य होंगे।


(ग)- पट्टेदाता को यह अधिकार होगा कि इस विलेख के अधीन देय समस्त घनराशि को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र पर जो अंतिम निश्चायक तथा पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा भू-राजस्व के बकाया के रूप में पट्टेदार से वसूल कर ले।

(घ)- इस विलेख के सम्बन्ध में देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।


(ङ)- पट्टेदार को उक्त वनभूमि किसी अन्य को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(च)- इससे पूर्व प्रयुक्त शब्द पट्टेदाता और पट्टेदार के सम्बन्ध में जब तक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो पट्टेदाता की दशा में उसके पद के उत्तराधिकारियों तथा पट्टेदार की दशा में उसके उत्तराधिकारियों का अन्तर्भाव निहित है।

(छ)- उक्त वनभूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टेदाता का अधिकार रहेगा।


अधीनस्थ प्रमुख सचिव
वन विभाग
राज्य शासन

प्रतिनिधि सुभाषित
निश्चायक अभियंता
विद्युत प्रेषण मण्डल
20 प्रो पॉ 100 वाट सि
भाजीपुर


Executive Engineer
Electricity Transmission Division-I
U.P. Power Transmission Corporation Ltd
Varanasi

अनुसूची

भूमि का विवरण


ग्राम/वन ब्लॉक का नाम	खसरा/कम्पार्टमेंट नम्बर	क्षेत्रफल (हे० मी)
चोपन ओबरा	23	19.968

इस विलेख के साक्ष्य मे श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री
 (मुख्य अरण्यपाल) मुख्य वन सखक जनपद..... ने तथा पट्टेदार की ओर
 से उनके द्वारा अधिकृत श्री सतीश कुमार सिंह ने नीचे हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के
 नीचे पदनाम दिया हुआ है।

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर


 प्रभागीय प्रशासक
 ओबरा वन प्रभाग
 ओबरा जैनमठ


 24.7.2023
 Executive Engineer
 (परिचालन विभाग) Power Division-1
 U.P. Power Corporation Ltd
 विद्युत प्रेषण विभाग, मन्दावी कानगसी
 30 प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन 14-अशोक
 मार्ग लखनऊ

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की
 ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत

पट्टेदार की ओर से एवं उसके द्वारा
 अधिकृत


साक्षीगण-

1-

पता-

2-

प्रतिलिपि सत्यापित पता- 1


 24.6.2023

अधिसूची अभियंता
 विद्युत प्रेषण विभाग
 30 प्र० पा० का० लि०
 मन्दावी